कार्यालय जिलाधिकारी,जालौन

(खनन अनुभाग)

संख्याः 2612 /खनिज–एम0एम0सी0–30 (ई–टेण्डर–2025) दिनांकः 25 अक्टूबर ,2025

ई–निविदा आंमत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद जालौन के नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मौरम के खनन क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उप खनिज(परिहार) नियमावली 2021 एंव शासनादेश संख्या–781/86–2020– 14(सा)/2020, दिनांक 23 मई, 2020 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 06.11.2025 से 12.11.2025 तक (पांच कार्य दिवस) तक क्षेत्रों के लिये ई–निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई–निविदा आंमत्रित की जाती है।

1. क्षेत्र का विवरण:–

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड सं0	क्षेत्रफल (हेक्टयर में)	सीमायें	जियोकॉर्डिनेट		उपखनिज का नाम	खनन योग्य निर्धारित/आंकलित उपखनिज की मात्रा (घनमी0 में)	आधार मूल्य (रायल्टी दर X निर्धारित/आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
						अक्षान्तर	देशान्तर				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	उरई	खरका	2628,2629 खण्ड सं0–03	20.242	उत्तर– गाटा सं0 2513 का शेष भाग तत्पश्चात गाटा सं0 2544,2545,2546, 2547,2580,2581,2618,2619 ,2620,2623,2625,2627 दक्षिण– जनपद हमीरपुर की सीमा पूरब–खण्ड सं0–6 की सीमा पश्चिम– खण्ड सं0–2 की सीमा	25°53'26.77"N 25°53'35.28"N 25°53'38.04"N 25°53'27.66"N 25°53'19.04"N 25°53'16.76"N 25°53'14.90"N	79°34'49.88"E 79°35'05.26"E 79°35'09.37"E 79°35'09.90"E 79°34'59.04"E 79°34'52.76"E 79°34'49.66"E	बालू/मौरम	101210	1,51,81,500/–	75,90,750/–
2	उरई	टीकर	1482 खण्ड सं0–2	20.242	उत्तर–सीमास्तम्भ A,B,C,D व,E, F,G,H व I तत्पश्चात आराजी सं0 1217,1459,1481 व 1386 की सीमा दक्षिण–सीमा स्तम्भ L,M,N,O,P,Q,R व S तत्पश्चात आराजी सं0 1483 की सीमा नदी बेतवा पूरब– सीमास्तम्भ I,J,K व L तत्पश्चात आराजी सं0 1385 की सीमा पश्चिम–सीमास्तम्भ A व S तत्पश्चात आराजी सं0–1482 की शेष भाग खण्ड सं0–1 की सीमा,	25°53'38.07"N 25°53'38.64"N 25°53'39.91"N 25°53'39.56"N 25°53'41.96"N 25°53'42.41"N 25°53'42.95"N 25°53'41.93"N 25°53'42.22"N 25°53'40.20"N 25°53'38.37"N 25°53'37.76"N 25°53'38.68"N 25°53'38.16"N 25°53'37.08"N 25°53'36.31"N 25°53'34.38"N 25°53'28.15"N 25°53'27.64"N	79°31'30.42"E 79°31'30.92"E 79°31'36.91"E 79°31'39.02"E 79°31'51.99"E 79°31'59.82"E 79°32'1.66"E 79°32'5.47"E 79°32'6.76"E 79°32'8.02"E 79°32'11.47"E 79°32'11.48"E 79°32'3.88"E 79°31'54.55"E 79°31'52.95"E 79°31'50.08"E 79°31'47.54"E 79°31'38.78"E 79°31'36.42"E	बालू/मौरम	101210	1,51,81,500/–	75,90,750/–
3	उरई	बन्धौली	2558,2563 खण्ड सं0–4	16.195	उत्तर–सीमास्तम्भ A व B तत्पश्चात आराजी सं0 2558 का शेष भाग बाद काश्त भूमि दक्षिण–सीमा स्तम्भ C व D तत्पश्चात जनपद हमीरपुर की सीमा नदी बेतवा पूरब– सीमास्तम्भ B व C तत्पश्चात आराजी सं0 2558 व 2563 का शेष भाग पश्चिम–सीमास्तम्भ A व D तत्पश्चात आराजी सं0 2558 व 2563 का शेष भाग	25°51'15.38"N 25°51'18.15"N 25°50'52.88"N 25°50'47.83"N	79°29'20.70"E 79°29'24.15"E 79°29'31.21"E 79°29'21.56"E	बालू/मौरम	121455	1,82,18,250/–	91,09,125/–

Scanned with CamScanner

	कालपी	हिमनपुरा	240 खण्ड सं0–2	20.242	उत्तर–सीमास्तम्भ A व I तत्पश्चात आराजी सं0 240 का शेष भाग बाद कास्त भूमि दक्षिण–सीमा स्तम्भ B,C,D,E,E₁,E₂,E₃,E₄,F,G,G₁,G₂,G₃,G₄,G₅,G₆,G₇ व H तत्पश्चात जनपद हमीरपुर की सीमा नदी बेतवा पूरब– सीमास्तम्भ A व B तत्पश्चात आराजी सं0 240 का शेष भाग नदी बेतवा पश्चिम–सीमास्तम्भ H व I तत्पश्चात आराजी सं0 240 का शेष भाग नदी बेतवा	25°52'10.00"N 25°51'59.00"N 25°51'56.90"N 25°51'55.40"N 25°51'53.10"N 25°51'54.15"N 25°51'51.50"N 25°52'6.10"N	79°47'59.50"E 79°48'06.60"E 79°48'04.50"E 79°48'04.50"E 79°48'01.20"E 79°47'54.51"E 79°47'47.80"E 79°47'48.40"E	बालू/ मौरम	151815	2,27,72,250/–	1,13,86,125/–

2. ई–निविदा में प्रतिभाग करने वाले ई–निविदादाताओं को ई–निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर अपलोड किये गये समस्त अभिलेख की प्रति एंव डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति खनिज कार्यालय, जालौन स्थान उरई में **दिनांक 13.11.2025 समय 05:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।**

3. अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिये होगी।

4. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।

5. किसी क्षेत्र के ई–निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम रुप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग–अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग–अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

6. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के लिये मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

7. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई–निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:–

(क) ई–निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रेक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप–II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से **etenders.up.nic.in** पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा **etenders.up.nic.in** के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगें

(ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डस ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

(घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करगें। इसके अतिरिक्त संबन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

8. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय **etenders.up.nic.in** पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारुप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

प्रारुप–2 की सूचनायें :–

क– विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
ख– विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक
ग– निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मो0नं0।
घ– उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है।
ड़– अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0–2000/– का चालान संख्या व दिनांक।
च– आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।

Scanned with CamScanner

छ– पैनकार्ड का क्रमांक।
ज– चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
झ– कम्पनी की दशा में कम्पनी का DINसंख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :–

क– ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रु0–2,000/– का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।
ख– आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
ग– पैन कार्ड।
घ– जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहॉ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहॉ इस आशय का शपथ पत्र।
ड़– सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थायी रुप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

9. विज्ञप्ति के अनुसार पॉच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को **दिनांक 14.11.2025 को समय 02:00 अपरान्ह** में जिलाधिकारी द्वारा गठित ई–निविदा समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

10. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारुप–2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

11. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्य दिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगा उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

12. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।

13. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

14. प्राप्त ई–निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रुप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।

15. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण करना होगा। जिन क्षेत्रों के लिये पर्यावरण प्राप्त नही है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनात्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा–पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरण स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

17. अनुज्ञा पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।

18. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियायें सम्पादित करेगा।

19. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तो का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

20. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

21. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नही किया जायेगा।

22. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लघंन किया जाता है तो अनुज्ञा पत्र धारक को अपना मामला बताने की युक्ति युक्ति अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र समाप्त किया जा सकता है।

23. नियमों एवं शर्तो के उल्लघंन के परिणाम स्वरुप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञा पत्र धारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा किया जायेगा।

24. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह अनुज्ञा पत्र धारको को मान्य होगा।

25. उक्त क्षेत्रों के जियोकोआर्डिनेट में किसी भी प्रकार का विचलन होने की दशा में सीमांकन आख्या में अंकित कोआर्डिनेट अंतिम रूप से मान्य होगे।

26. रिप्लेशमेन्ट स्टडी में मात्रा का अन्तर होने पर निर्गत लेटर आफॅ इन्टेन्ट (आशय पत्र) में संशोधन किया जाना जायेगा, जो अनुज्ञाधारक को मान्य होगा। उक्त के अतिरिक्त नियमानुसार यदि कोई अन्य संशोधन किया जाता है तो उसे भी अनुज्ञाधारक को मान्य किया जाना होगा।

27. अनुज्ञाधारक नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगा और उसका समुचित रुप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रुप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0सी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गई समस्त रिकार्डिग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिगं को उपलब्ध करायेगा।

28. अनुज्ञाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

29. अनुज्ञाधारक 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नही करेगा।

30. अनुज्ञाधारक द्वारा नदी की जलधारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नही किया जायेगा।

31. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहां परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहॉं पर खनिज का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

32. यदि अनुज्ञाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लघंन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

33. अनुज्ञा समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तरित किये जाने में प्रस्तावक को कोई आपत्ति नही होगा।

Scanned with CamScanner

34. विज्ञापित क्षेत्र का मानसून सत्र समाप्ति के उपरान्त यदि मात्रा का अन्तर होता है तो रिप्लेशमेन्ट स्टडी के अनुसार मात्रा का निर्धारण किया जायेगा, जो अनुज्ञाधारक को मान्य होगा ।

35. अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र के आस–पास यदि कही भी अवैध खनन होता हुआ पाया जायेगा तो उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करानी होगी। यदि सूचना उपलब्ध नही करायी जाती है तो उक्त में संलिप्तता मानते हुये सम्बंधित अनुज्ञाधारक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जो अनुज्ञाधारक को मान्य होगी।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी,जालौन।

संख्या एंव दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति को व्यापक प्रचार प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
7. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, झांसी।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
9. जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को 02 दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

28/10/2020

जिलाधिकारी,
जालौन।

Scanned with CamScanner

प्रारूप–2

खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु ई–निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति मे क्षेत्र का क्रमांक	
3.	निविदाकार का नाम	
4.	निविदाकार के पिता का नाम	
5.	स्थायी पता	
6.	वर्तमान पता	
7.	मोबाईल नम्बर	
8.	ई–मेल आईडी	
9.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम– ख. जनपद का नाम– ग. तहसील का नाम– घ. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम– ड़. गाटा संख्या/ खण्ड संख्या/ जोन संख्या– च. क्षेत्रफल(एकड़ में)–	
10.	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11.	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
12.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ शपथ पत्र की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
13.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो। (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14.	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15.	क्षेत्र में निर्धारित/आंकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची एक में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर के गुणाक का 50 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	ड्राफ्ट धनराशि ——— बैंक का नाम व शाखा ——— ड्राफ्ट का नम्बर ———

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः–

निविदाकार के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by GOPAL KRISHNA DUTTA
Date: 2025.10.30 10:50:17 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner